



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226323  
CG-DL-E-01042021-226323

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1327]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1327]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

(आयकर)

**का.आ. 1434(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके पश्चात इसे उक्त अधिनियम से रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उप-धारा (1), (2), तथा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र (जिसे बाद में (एन ए एफ ए सी रूप में संदर्भित किया गया) के आयकर प्राधिकारी जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर हैं, भारत के भूभाग में सभी व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग, अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 144(ख) के अंतर्गत पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए समवर्ती रूप से निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का निष्पादन करेंगे जिसमें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2814(अ) वाली अधिसूचना संख्या 57/2014 अथवा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2915 (अ) वाली अधिसूचना संख्या 70/2014 द्वारा आच्छादित व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग शामिल नहीं हैं :—

## अनुसूची

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी), दिल्ली	दिल्ली
2	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय-प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(एन ए एफ ए सी), दिल्ली.	दिल्ली
3	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1, दिल्ली	दिल्ली
4	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1, दिल्ली	दिल्ली
5	अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(1), दिल्ली.	दिल्ली
6	उप/ सहायक आयकर आयुक्त(एन ए एफ ए सी)-1(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
7	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
8	अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(2), दिल्ली.	दिल्ली
9	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
10	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
11	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2, दिल्ली	दिल्ली
12	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2, दिल्ली	दिल्ली
13	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(1), दिल्ली.	दिल्ली
14	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
15	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
16	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(2), दिल्ली.	दिल्ली
17	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
18	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
19	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3, दिल्ली	दिल्ली
20	आयकर अधिकारी(मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3, दिल्ली	दिल्ली
21	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(1), दिल्ली.	दिल्ली
22	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
23	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
24	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(2), दिल्ली.	दिल्ली
25	उप /सहायक आयकर आयुक् (एन ए एफ ए सी)-3(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
26	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
27	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4, दिल्ली	दिल्ली

28	आयकर अधिकारी(मुख्या.),कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4, दिल्ली	दिल्ली
29	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(1), दिल्ली.	दिल्ली
30	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
31	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
32	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(2), दिल्ली.	दिल्ली
33	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
34	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 22/2021/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2021

**(Income-tax)**

**S.O. 1434(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (5) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax Authorities of the National Faceless Assessment Centre (hereinafter referred to as the NaFAC) specified in Column (2) of the Schedule below, having its headquarters at the place mentioned in Column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers and functions of Assessing Officer concurrently, to facilitate the conduct of Faceless Assessment proceedings under section 144B of the said Act, in respect of all persons or class of persons, or incomes or class of incomes, or cases or class of cases in the territory of India, excluding the persons or class of persons, or incomes or class of incomes, or cases or class of cases covered by the Notification No.57/2014 bearing S.O. 2814 (E) dated the 3<sup>rd</sup> November, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) or by the Notification No. 70/2014 bearing S.O. 2915 (E) dated the 13<sup>th</sup> November, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii):

**SCHEDULE**

<b>S. No.</b>	<b>Income-tax Authority</b>	<b>Headquarters</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Principal Chief Commissioner of Income-tax (NaFAC), Delhi	Delhi
2.	Income-tax Officer (NaFAC)(HQ), Office of the Principal Chief Commissioner of Income-tax (NaFAC), Delhi.	Delhi
3.	Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1, Delhi	Delhi
4.	Income-tax Officer (NaFAC) (HQ), Office of the Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1, Delhi	Delhi
5.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(1), Delhi.	Delhi
6.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-1(1)(1), Delhi.	Delhi
7.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(1)(2), Delhi.	Delhi
8.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-1(2), Delhi.	Delhi
9.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-1(2)(1), Delhi.	Delhi
10.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-1(2)(2), Delhi.	Delhi
11.	Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2, Delhi	Delhi

12.	Income-tax Officer (NaFAC) (HQ), Office of the Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2, Delhi	Delhi
13.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(1), Delhi.	Delhi
14.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-2(1)(1), Delhi.	Delhi
15.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-2(1)(2), Delhi.	Delhi
16.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-2(2), Delhi.	Delhi
17.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-2(2)(1), Delhi.	Delhi
18.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-2(2)(2), Delhi.	Delhi
19.	Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3, Delhi	Delhi
20.	Income-tax Officer (NaFAC) (HQ), Office of the Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3, Delhi	Delhi
21.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(1), Delhi.	Delhi
22.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-3(1)(1), Delhi.	Delhi
23.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-3(1)(2), Delhi.	Delhi
24.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-3(2), Delhi.	Delhi
25.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-3(2)(1), Delhi.	Delhi
26.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-3(2)(2), Delhi.	Delhi
27.	Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4, Delhi	Delhi
28.	Income-tax Officer (NaFAC)(HQ), Office of the Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4, Delhi	Delhi
29.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(1), Delhi.	Delhi
30.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-4(1)(1), Delhi.	Delhi
31.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-4(1)(2), Delhi.	Delhi
32.	Additional / Joint Commissioner of Income-tax (NaFAC)-4(2), Delhi.	Delhi
33.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-4(2)(1), Delhi.	Delhi
34.	Deputy / Assistant Commissioner of Income-tax(NaFAC)-4(2)(2), Delhi.	Delhi

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2021.

[Notification No. 22/2021/F. No. 187/3/2020-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

#### (आयकर)

**का.आ. 1435(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उप-धारा (1), (2), तथा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा, निर्देश देता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र (जिसे बाद में आर ई एफ ए सीएस के रूप में संदर्भित किया गया) के आयकर प्राधिकारी जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर हैं, भारत के भूभाग में सभी व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग, अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 144(ख) के अंतर्गत पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए समवर्ती रूप से निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का निष्पादन करेंगे जिसमें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग – II, खंड – 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2814 (अ) वाली अधिसूचना संख्या 57/2014 अथवा भारत के राजपत्र असाधारण भाग – II खंड – 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2915 (अ) वाली अधिसूचना संख्या 70/2014 द्वारा आच्छादित व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग शामिल नहीं हैं :-